निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1940 (श0)
(सं0 पटना 1044) पटना, मंगलवार, 11 दिसम्बर 2018

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
11 दिसम्बर 2018

एस० ओ० 275, दिनांक 11 दिसम्बर 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12), (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) **की धारा 44 की उपधारा (1) वह** उपबंधित **करती है** कि **इनपुट सेवा वितरक से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या 52 के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसम्बर को या उसके पहले ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, इलैक्ट्रानिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;**

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए उन्नत प्रक्रम पर इलैक्ट्रानिक प्रणाली विकसित की जानी और 31 जनवरी, 2019 तक प्रचालित की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप, उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी और इसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई है ;

अत: अब बिहार के राज्यपाल, बिहार **माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित आदेश** करते हैं, यथा :–

1. **संक्षिप्त नाम.- इस आदेश का संक्षिप्त नाम** बिहार **माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।**
2. बिहार **माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;**

   "स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजन के लिए वह घोषणा की **जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी"**
3. यह आदेश तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–4) 7075)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

---

11 दिसम्बर 2018

एस० ओ० 275, दिनांक 11 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–4) 7075)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 11th December 2018

S.O. 275 Dated 11th December 2018—WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, the electronic system to be developed is at the advanced stage and is likely to be made operational by the 31st January, 2019 as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Bihar, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:–

1. Short title.–This Order may be called the Bihar Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 44 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, after sub-section (2), the following Explanation shall be inserted, namely:–
"*Explanation.*- For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the 31st March, 2019.".

3. This order shall come in to force with immediate effect.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)7075)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1044-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in